राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या – 87/2013/बाड़मेर.
(सम्बन्धित अपील संख्या–26/2008/बाड़मेर)

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बाड़मेर. .....अपीलार्थी (अप्रार्थी).

बनाम

मैसर्स भवन व पथ निर्माण (बोहरा एण्ड कम्पनी), बाड़मेर. .....प्रत्यर्थी (प्रार्थी).

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. आर. सिंघवी, अभिभाषक .....प्रार्थी की ओर से.
श्री डी. पी. ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 10/06/2016

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा यह परिशोधन प्रार्थना–पत्र माननीय राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 26/2008/बाड़मेर में एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.11.2011 में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 1997–98 के दौरान प्रार्थी द्वारा निष्पादित कार्य संविदाओं के पेटे रूपये 28,39,047/– का बिटुमिन राज्य के बाहर से आयात किया जाकर काम में लिया गया। वाणिज्यिक कर अधिकारी, बाड़मेर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा आदेश दिनांक 03.05.2000 पारित करते हुए उक्त माल पर 12 प्रतिशत की दर से कर आरोपित किया गया, साथ ही मूंगिया व बजरी की अपंजीकृत खरीद पर भी करारोपण किया गया। प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31.08.2007 से स्वीकार किये जाने के विरूद्ध विभाग द्वारा कर बोर्ड के समक्ष अपील संख्या 26/2008 प्रस्तुत की गयी। माननीय कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा आदेश दिनांक 25.11.2011 से राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने को विवादित करते हुए व्यवहारी द्वारा यह परिशोधन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. प्रार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना–पत्र में निम्न कथन किया गया है :–

लगातार.....2

01] That vide the impugned order Dt. 25-11-2011, all the grounds of the appeal and cross objections have not been rederessed and therefore there is a clear mistake apparent on the record deserves to be rectified.

02] That the finding recorded in para 7 at page 5 of the impuged order being contrary to the actual facts is also a mistake apparent on the face of record. This finding relates to the ground No.4 of the departmental appeal, which ground itself has been taken wrong and contrary to the finding recorded by the appellate authority in the appellate order Dt.31-08-2007 and therefore the ground redressed by accepting the appeal of department is a glaring and patent mistake deserves to be rectified. In this view of the matter it may be stated that the appellate authority did accept the appeal in respect of tax levied on the additional amount added to the purchase of Bitumen worth of Rs. 2839047/- and therefore the ground has wrongly been raised in as much as the same is wrongly redressed.

03] That the finding recorded in the last three lines of para No.2 at page.1 of the impugned order that "Despite holding the illegality of taxation on the import of bitumen by the appellate authority how the respondent has filed the cross objection", being wrong and contrary to the actual facts also deserves to be rectified.

4. बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने उक्त आधारों को दोहराते हुए माननीय एकलपीठ के आदेश दिनांक 25.11.2011 को संशोधित किये जाने का निवेदन किया।

5. अप्रार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने आदेश दिनांक 25.11.2011 का समर्थन करते हुए कथन किया कि वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत सचेतन मस्तिष्क से पारित निर्णय को संशोधित नहीं किया जा सकता। उक्त धारा के तहत केवल लिपिकीय त्रुटि ही संशोधनीय है। विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील संख्या 2692/2011 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज में पारित निर्णय दिनांक 29.3.2011 [(2011) 29 टैक्स अपडेट 253]** का हवाला देते हुए प्रार्थी का संशोधन प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किये जाने पर जोर दिया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली एवं उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया।

लगातार.....3

7. प्रकरण में माननीय एकलपीठ द्वारा विवादित निर्णय दिनांक 25.11.2011 को निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थी राजस्व की अपील स्वीकार की गयी है। माननीय एकलपीठ द्वारा तत्समय उपलब्ध तथ्यात्मक एवं विधिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए सचेतन मस्तिष्क से निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई थी तथा धारा 33 के तहत संशोधनीय नहीं है।

8. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील संख्या 2692/2011 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज में पारित निर्णय दिनांक 29.3.2011 [(2011) 29 टैक्स अपडेट 253]** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 33 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग अभिलेख से प्रकट भूल की स्थिति में ही किया जा सकता है। समस्त अभिलेख का पुनर्मूल्यांकन इस धारा के अधीन अनुज्ञेय नहीं है। निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :—

> "18. Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority to rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a re appreciation of the entire records is neither possible nor called for. When the subsequent order dated 22.01.2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinised it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by re appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records.
>
> 19. Thus, the order passed by the Taxation Board on 22.1.2009 as also the impugned order and judgment passed by the High Court upholding the said order of the Taxation Board are hereby set aside and quashed and the original order passed by the Assessing Officer is restored."

9. इसी प्रकार का मत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **42 टैक्स अपडेट पार्ट—3 पेज 103 सहायक आयुक्त, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, अलवर बनाम पी.एन.सी. कंस्ट्रक्शन, धौलपुर में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2015** में प्रतिपादित किया है।

लगातार.....4

10. उपरोक्त विवेचन एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त के आलोक में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.11.2011 में किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किया जाता है।

11. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी 10/06/2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य